

मसौदा

दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रैसेबल प्रणालियां) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022
(2022 का__)

9 सितंबर 2022

महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड),
नई दिल्ली - 110 002

दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एडेसेबल प्रणालियां) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 पर लिखित टिप्पणियां 7 अक्टूबर 2022 तक हितधारकों से आमंत्रित किए जाते हैं। प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों, 21 अक्टूबर 2022 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। कृपया अपनी टिप्पणियों के लिए विस्तृत कारण एवं औचित्य प्रदान करें। टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर पोस्ट किया जाएगा। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ई-मेल advbcs-2@traigov.in और jtadv-bcs@traigov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष संख्या: +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

विषयवस्तु

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
अध्याय 1	पृष्ठभूमि और परिचय	4
अध्याय 2	दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एट्रेसेबल प्रणालियां) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का __)।	8

अध्याय 1

पृष्ठभूमि और परिचय

1.1 भादुविप्रा ने 03.03.2017 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसिबल प्रणाली) विनियम, 2017 को अधिसूचित किया [जिसे यहाँ पर "अंतःसंयोजन विनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है]।

1.2 संशोधित अंतःसंयोजन विनियमों के विनियम 15 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रावधान हैं:-

"15. लेखा परीक्षा.- (1) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक कैलेंडर वर्ष में एक बार अपने ग्राहक प्रबंधन प्रणाली, सशर्त पहुंच प्रणाली और अन्य संबंधित प्रणालियों का लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा करवाएगा ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वितरक द्वारा ब्रॉडकास्टर को उपलब्ध कराई गई मासिक सदस्यता रिपोर्ट पूर्ण, सत्य और सही है, और प्रत्येक ब्रॉडकास्टर को इस संबंध में एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करेगा जिसके साथ उसने एक अंतःसंयोजन समझौता किया है:

बशर्ते कि प्राधिकरण इस तरह की लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षकों को पैनल में डाल सकता है और टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक वितरक के लिए इस उप-विनियम के अंतर्गत, मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, या ऐसे किसी भी लेखा परीक्षक से लेखा परीक्षक कराना अनिवार्य होगा। :

बशर्ते कि लेखा परीक्षक के कारण किसी भी तरह की भिन्नता, जिसके परिणामस्वरूप बिल राशि का शून्य दशमलव पांच प्रतिशत से कम हो, पहले से जारी और भुगतान किए गए चालानों के किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।

(1क) यदि कोई वितरक कैलेंडर वर्ष में एक बार उप-विनियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अपने ग्राहक प्रबंधन प्रणाली, सशर्त पहुंच प्रणाली और अन्य संबंधित प्रणालियों की लेखा परीक्षा करने में विफल रहता है, तो वह नियमों और शर्तों या लाइसेंस या अनुमति या पंजीकरण, या अधिनियम या नियम या विनियम या उसके अंतर्गत जारी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसका बकाया राशि से तीस दिनों तक डिफॉल्ट के लिए प्रति दिन एक हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। देय तिथि से तीस दिनों के बाद भी चूक जारी रहने की स्थिति में प्रति दिन दो हजार रुपये की अतिरिक्त राशि, जैसा कि प्राधिकरण, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है, भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा:

बशर्ते कि इस उप-विनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा लगाया गया वित्तीय जुर्माना किसी भी स्थिति में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में किसी भी राशि के भुगतान का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वितरक को प्राधिकरण द्वारा देखे गए नियमों के उल्लंघन के खिलाफ प्रतिनिधित्व का उचित अवसर न दिया गया हो।

(2) यदि एक प्रसारक उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है या यदि उसकी राय में वितरक द्वारा प्रयोग किया गया एड्रेसिबल सिस्टम अनुसूची III में निर्धारित आवश्यकताओं को

पूरा नहीं करता है तो प्रसारक टेलीविज़न चैनलों के वितरक को लिखित में सूचित करके सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली, सशर्त पहुँच प्रणाली और अन्य संबन्धित सिस्टम का ऑडिट वर्ष में एक बार करवाएगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण इस तरह की लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षकों को पैनल में डाल सकता है और प्रत्येक ब्रॉडकास्टर के लिए इस उप-विनियम के अंतर्गत, मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, या ऐसे किसी भी लेखा परीक्षक से लेखा परीक्षा कराना अनिवार्य होगा।

बशर्ते कि यदि इस तरह की लेखा परीक्षा से पता चलता है कि ब्रॉडकास्टर की तरफ अतिरिक्त राशि देय है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसी राशि का भुगतान अंतःसंयोजन एग्रीमेंट में ब्रॉडकास्टर द्वारा निर्दिष्ट दर पर ब्याज के साथ दस दिनों के भीतर करेगा और यदि ऐसी राशि के लिए देय ब्याज सहित किसी भी अवधि के लिए वितरक द्वारा देय राशि से दोप्रतिशत या अधिक होने पर, वितरक लेखा परीक्षा खर्च वहन करेगा, और भविष्य में ऐसी त्रुटियों की घटना से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा;

बशर्ते कि वितरक को तीन सप्ताह का लिखित नोटिस देने के बाद, ब्रॉडकास्टर को टेलीविज़न चैनलों के सिग्नल को डिस्कनेक्ट करने की अनुमति होगी, यदि इस तरह की लेखा परीक्षा से पता चलता है कि वितरक द्वारा उपयोग की जा रही एड्रैसेबल प्रणाली अनुसूची III में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

(3) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक लेखा परीक्षकों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ताकि समयबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा को पूरा किया जा सके।

1.3 अंतःसंयोजन विनियमों के विनियम 15 के प्रावधानों में आदेश दिया गया है कि टेलीविज़न चैनलों के प्रत्येक वितरक को कैलेंडर वर्ष में एक बार पैनल में शामिल लेखा परीक्षक या बीईसीआईएल द्वारा अपने की लेखा परीक्षा करानी होगी ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वितरक द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सदस्यता रिपोर्ट पूर्ण, सत्य और सही हैं, और प्रत्येक प्रसारक को इस संबंध में एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करनी होगी जिसके साथ उसने एक अंतःसंयोजन समझौता किया है। विनियम 15 में उन मामलों में ब्रॉडकास्टर द्वारा लेखा परीक्षा का प्रावधान भी है, जहां एक ब्रॉडकास्टर विनियम 15 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है या, यदि प्रसारक की राय में डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उपयोग किया जा रहा एड्रैसेबल प्रणाली अंतःसंयोजन विनियमों की अनुसूची III में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

1.4 लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की सुविधा के लिए भादुविप्रा ने लेखा परीक्षा नियमावली तैयार करने और जारी करने का निर्णय लिया। इसलिए, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाओं के लिए परामर्श प्रक्रिया डिजिटल एड्रैसेबल प्रणाली लेखा परीक्षा मैनुअल 2019 में शुरू की गई थी। उपर्युक्त लेखा परीक्षा मैनुअल के परामर्श के दौरान, कुछ टिप्पणियों और अवलोकनों ने दर्शाया कि अंतःसंयोजन विनियमों की अनुसूची III में कुछ मुद्दों / मद्दों के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने में एक अंतर है।

1.5 तदनुसार, भादुविप्रा ने अंतःसंयोजन विनियमों की अनुसूची III में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की। इस संबंध में मसौदा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ अंतःसंयोजन (एड्रैसेबल सिस्टम्स) (संशोधन)

विनियम, 2019 [इसके बाद ड्राफ्ट विनियम 2019 के रूप में संदर्भित] 27.8.2019 को जारी किए गए थे। इन ड्राफ्ट विनियम 2019 में अंतःसंयोजन विनियमों की अनुसूची III में निम्नलिखित मुद्दों पर संशोधन करने का प्रस्ताव है: -

- i. डिजिटल राइट मैनेजमेंट प्रणाली
- ii. सीएस और एसएमएस प्रणाली की ट्रांजेक्शनल क्षमता
- iii. फिंगरप्रिंटिंग-एसटीबी में विजिबल और कवर्ट फिंगरप्रिंटिंग के लिए सपोर्ट
- iv. सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो

1.6 उक्त परामर्श प्रक्रिया के दौरान, भादुविप्रा को डीआरएम सिस्टम से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों से कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए। यह महसूस किया गया कि डीआरएम प्रणालियों के लिए विशिष्टताओं के लिए उद्योग हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि डीआरएम सिस्टम की आवश्यकताओं को अलग से निपटाया जाएगा। तदनुसार, भादुविप्रा ने 30.10.2019 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 7) जारी किया (कृपया अंतःसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2019 दिनांक 30.10.2019के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 34 को देखें)।

1.7 डी.एस.आई.डी. प्रणाली से संबंधित डेटाबेस बनाने के लिए भादुविप्रा ने 'डिजिटल एकल और रचना के लिए निर्माण' का निर्माण किया है। जीनोम-विचार के बाद, संचार की गतिविधि III में शामिल होने के लिए 'डिजिटल प्रशासन के लिए आवश्यक सुविधाएँ' पर एक लि की की। ट्रीट के रिकॉर्ड की पहचान की गई है।

1.8 डीआरएम सिस्टम से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए, भादुविप्रा ने 'डिजिटल राइट मैनेजमेंट के लिए सिस्टम रिकॉयरमेंट' का मसौदा तैयार करने और दाखिल करने के लिए उद्योग हितधारकों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया। व्यापक विचार-विमर्श के बाद, समिति ने अंतःसंयोजन विनियमन की अनुसूची III में शामिल करने के लिए 'डिजिटल अधिकार प्रबंधन के लिए सिस्टम आवश्यकताएँ' पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के सभी सदस्यों द्वारा किए गए व्यापक कार्यों की भादुविप्रा सराहना करता है।

1.9 तदनुसार, हितधारकों की समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह परामर्श पत्र (सीपी) तैयार किया गया है जिसमें अंतःसंयोजन विनियमों में 'डिजिटल राइट मैनेजमेंट (डीआरएम) के लिए सिस्टम आवश्यकता' को एक नई अनुसूची अर्थात अनुसूची x के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है।

1.10 अंतःसंयोजन विनियम 2017 में इस सीपी में प्रस्तावित संशोधन अर्थात् 'दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का ___)' [जिसे यहाँ पर "ड्राफ्ट विनियम 2022" के रूप में संदर्भित किया गया है] को इस परामर्श पत्र के अध्याय 2 में शामिल किया गया है।

1.11 मसौदा विनियम 2022 (और उसकी अनुसूची) पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

परामर्श के लिए मुद्दे

प्रश्न 1: हितधारक निम्नलिखित प्रारूप (तालिका 1) के अनुसार मसौदा विनियम 2022 पर अपनी प्रतिक्रिया/टिप्पणियां दे सकते हैं।

तालिका 1: इस सीपी में उठाए गए मसौदा विनियम 2022 से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए प्रारूप

क्रम संख्या	मसौदा विनियम 2022 की अनुच्छेद संख्या	क्या आप इस सीपी में प्रस्तावित मसौदा विनियमों से सहमत हैं (हां/नहीं)	यदि आप इस सीपी में प्रस्तावित संशोधन से सहमत नहीं हैं, तो आपके द्वारा प्रस्तावित संशोधित अनुच्छेद प्रदान करें	आपकी प्रतिक्रिया के पूर्ण औचित्य के कारण
1				
2				

प्रश्न 2: कृपया मसौदा विनियम 2022 में टिप्पणी/कोई अन्य सुझाया गया संशोधन (अतिरिक्त प्रावधान), यदि कोई हो, उसके कारणों के साथ प्रदान करें, जिसे हितधारक आवश्यक समझे (इस सीपी में प्रस्तावित के अलावा)। हितधारकों को तालिका 2 में निर्दिष्ट प्रारूप में अपनी टिप्पणियां स्पष्ट रूप से नए अनुच्छेद, सुझाए गए संशोधन (अतिरिक्त अनुच्छेद) और प्रस्तावित संशोधन के कारण/पूर्ण औचित्य को दर्शाना चाहिए।

तालिका 2: इस सीपी में प्रस्तावित मुद्दों के अलावा अन्य मुद्दों पर 'डिजिटल राइट मैनेजमेंट (डीआरएम) के लिए सिस्टम आवश्यकता' से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए प्रारूप

क्रम संख्या	मसौदा विनियम 2022 में प्रस्तावित नया अनुच्छेद संख्या	सुझाया गया संशोधन (अतिरिक्त खंड)	प्रस्तावित संशोधन के कारण/पूर्ण औचित्य
1			
2			

अध्याय 2

मसौदा विनियमन 2022

भारत के राजपत्र, असाधारण,
भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना

दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं
अंतःसंयोजन (एड्रिसेबल प्रणालियां) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022
(2022 का__)

नई दिल्ली, __/__/2022

एफ. नं. सी-1/2/(1)/2021-बी और सीएस (2) - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) का खंड (बी) का उप खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 तथा केंद्रीय सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी किया गया है, और

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में 9 जनवरी, 2004 को अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44 (ई) तथा 45 (ई) के तहत प्रकाशित,-

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रिसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (2017 का 1) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रैसेबल प्रणालियां) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का ___) कहा जा सकता है।
 - (2) यह विनियम संपूर्ण भारत में लागू होंगे।
 - (3) यह विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रैसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (आगे "प्रमुख विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 10 में,
- (क) उप-विनियम (6) में, "अनुसूची III" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:
-
- "या अनुसूची X या दोनों, जैसा भी मामला हो"।
- (ख) उप-विनियम (7) में, शब्द "अनुसूची III" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों, जैसा भी मामला हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ग) उप-विनियम (7) के परंतुक में, "अनुसूची III" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
- "या अनुसूची X या दोनों, जैसा भी मामला हो"।
3. मूल विनियमों के विनियम 15 में,
- (क) उप-विनियम (2) में, "अनुसूची III" शब्दों के स्थान पर, "अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों, जैसा भी मामला हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) उप-विनियम (2) के तीसरे परंतुक में, "अनुसूची III" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -
- "या अनुसूची X या दोनों, जैसा भी मामला हो"।
4. मूल विनियमों की अनुसूची II में,

(क) मद 17 में, "अनुसूची III" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची III/अनुसूची X" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) घोषणा में, "अनुसूची III" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची III/अनुसूची X" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. मूल विनियमों की अनुसूची IX के बाद, निम्नलिखित अनुसूची को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:

"अनुसूची X"

(विनियम 10 के उप-विनियम (6), विनियमन 10 के उप-विनियम (7) और विनियमन 15 के उप-विनियम (2) देखें)

लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र और अनुसूची

(क) कार्य क्षेत्र: डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा किए जाने वाले वार्षिक लेखा परीक्षा में इस अनुसूची के अनुपालन को मान्य करने के लिए ऑडिट और इन विनियमों में दिए गए सब्सक्रिप्शन ऑडिट शामिल होंगे।

(ख) शेड्यूलिंग: विनियम 15(1) के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा इस तरह से शेड्यूल किया जाएगा कि लगातार दो कैलेंडर वर्षों के लेखा परीक्षा के बीच कम से कम छह महीने का अंतर हो। इसके अलावा, लगातार दो कैलेंडर वर्षों के लेखा परीक्षा के बीच 18 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

डिजिटल अधिकार प्रबंधन (डीआरएम) सिस्टम आवश्यकताएँ

डीआरएम एतद द्वारा इन नियमों के अंतर्गत इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता के लिए सीएस और एसएमएस की कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन सिस्टम के प्रबंधन को संदर्भित करता है।

(ग) आईपीटीवी सेवा के लिए समग्र आर्किटेक्चर / सिस्टम आवश्यकताएँ और प्रमाणन:

(क) चैनलों का रीट्रांसमिशन एक बंद नेटवर्क पर होगा जो एक एन्क्रिप्टेड, पॉइंट-टू-पॉइंट सिस्टम आर्किटेक्चर के माध्यम से एक ग्राहक के परिसर के भीतर स्थित सेट टॉप बॉक्स के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके लिनियर चैनलों के ऑडियो वीडियो स्ट्रीम के इलेक्ट्रॉनिक वितरण के लिए डीपीओ के स्वामित्व और नियंत्रण के लिए होगा। संदेह से बचने के लिए आईपीटीवी में इंटरनेट/वर्ल्ड वाइड वेब/ओटीटी के माध्यम से (अर्थात् सीधे पहुंच योग्य) उपलब्ध करने और देखने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी शामिल नहीं होगी।

- (ख) आईपीटीवी रैखिक सेवाएं इंटरनेट/सार्वजनिक नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होनी चाहिए।
- (घ) डीआरएम आवश्यकताएं जहां तक वे आईपीटीवी सेवाओं के लिए ग्राहक प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) से संबंधित हैं

तालिका 1

क्रम सं.	एसएमएस के लिए प्रस्तावित डीआरएम आवश्यकताएँ
1.	डीआरएम और एसएमएस के बीच कोई डेटा बेमेल नहीं होना चाहिए। सदस्यता के आधार पर अधिकतम बेमेल की अनुमति दी जा सकती है जैसा कि नीचे बताया गया है: (1) 100000 तक सब्सक्राइबर बेस के लिए 0.20% से कम होना चाहिए (100000 तक के सब्सक्राइबर बेस के लिए 0 से 200) (2) 100000 तक ग्राहक आधार के लिए 0.04% से कम होना चाहिए (100000 तक के ग्राहक आधार के लिए 0 से 400) (3) 1000000 से ऊपर के ग्राहक आधार के लिए 0.01% से कम होना चाहिए (1000000 के ग्राहक आधार के लिए 0 से 1000) दोनों प्रणालियों के बीच डेटा का मासिक आधार पर मिलान किया जाएगा। मिलान रिपोर्ट को सिस्टम डेटा के साथ कम से कम 2 साल या कम से कम दो लेखा परीक्षा साइकल के लिए या अनुसूची III के अनुसार जो भी बाद में हो, संग्रहीत किया जाएगा।
2.	उपयोगकर्ताओं के लिए पासवर्ड नीति: एसएमएस में न्यूनतम लंबाई मानदंड और संरचना (छोटे और बड़े अक्षर, संख्याएं, अक्षर या विशेष वर्ण), बाध्यकारी पासवर्ड परिवर्तन या कोई अन्य उपयुक्त तंत्र या संयोजन के साथ एक परिभाषित पासवर्ड नीति होगी।
3.	बिक्री के बाद सेवा: आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सहायता भारत में स्थित एसएमएस विक्रेता की सहायता टीमों से टेलीविजन चैनलों के प्रतिष्ठानों के वितरक के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। सहायता ऐसी होनी चाहिए जो 99.99% अपटाइम और उपलब्धता के साथ एसएमएस प्रणाली सुनिश्चित करे। सेवा की गुणवत्ता और अपटाइम सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में बैकअप के लिए पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए
4.	एसटीबी की सभी सक्रियता और निष्क्रियता डीआरएम के साथ एकीकृत एसएमएस के आदेशों के साथ की जाएगी।
5.	आवश्यक और पर्याप्त तरीके विकसित किए जाएंगे ताकि एसटीबी के प्रत्येक सक्रियता और निष्क्रियता को डीआरएम के साथ एकीकृत एसएमएस से उत्पन्न रिपोर्ट में प्रतिबिंबित किया जा सके या इसके उलट किया जा सके
6.	डीआरएम और एसएमएस 24 घंटे के अंदर वितरक के ग्राहक आधार की सेवाओं और/या एसटीबी को सक्रिय या निष्क्रिय करने में सक्षम होना चाहिए।
7.	एसएमएस स्वतंत्र रूप से कम से कम पिछले दो (2) लगातार वर्षों की अवधि के लिए एसएमएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड के अनुरूप लॉग उत्पन्न करने, रिकॉर्ड करने और बनाए रखने में सक्षम होगा जिसमें सक्रियता और निष्क्रियता डिमांड शामिल हैं

8.	<p>एसएमएस को कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए और ग्राहकों से संबंधित जानकारी और डेटा सहित सभी लॉग रिकॉर्ड करने में सक्षम होना चाहिए जैसे:</p> <p>(क) विशिष्ट ग्राहक पहचान (आईडी)</p> <p>(ख) सदस्यता अनुबंध संख्या</p> <p>(ग) ग्राहक का नाम</p> <p>(घ) बिलिंग पता</p> <p>(ङ) इन्स्टालेशन का पता</p> <p>(च) लैंडलाइन टेलीफोन नंबर</p> <p>(छ) मोबाइल टेलीफोन नंबर</p> <p>(ज) ईमेल पता</p> <p>(झ) चैनल, बुके और सेवाएं जिन्हें सब्सक्राइब किया गया</p> <p>(ट) अद्वितीय एसटीबी नंबर</p> <p>(ठ) युनीक वीसी नंबर या मैक आईडी।</p>
9.	<p>एसएमएस निम्न में सक्षम होना चाहिए:</p> <p>(क) एसटीबी की सक्रियता और निष्क्रियता के संदर्भ में ऐतिहासिक डेटा को देखना और प्रिंट करना।</p> <p>(ख) शहर और राज्य स्तर पर स्थापित प्रत्येक एसटीबी और वीसी/मैक आईडी का पता लगाना।</p> <p>(ग) प्रत्येक ग्राहक के लिए सदस्यता में परिवर्तन और ग्राहक द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंधित स्रोत के ऐतिहासिक डेटा उत्पन्न करना।</p>
10.	<p>एसएमएस किसी भी वांछित समय पर रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें निम्न शामिल हैं:</p> <p>(क) पंजीकृत ग्राहकों की कुल संख्या।</p> <p>(ख) सक्रिय ग्राहकों की कुल संख्या।</p> <p>(ग) अस्थायी रूप से निलंबित ग्राहकों की कुल संख्या।</p> <p>(घ) निष्क्रिय ग्राहकों की कुल संख्या।</p> <p>(ङ) सिस्टम में ब्लैक लिस्ट किए गए एसटीबी की सूची।</p> <p>(च) चैनल और बुके के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मासिक सदस्यता रिपोर्ट।</p>
11.	<p>वितरक यह सुनिश्चित करेगा कि एसएमएस विक्रेता के पास पूरे वर्ष 24x7 आधार पर सिस्टम को बनाए रखने के लिए भारत में तकनीकी क्षमता है।</p>
12.	<p>डीपीओ चैनलों के वितरण के लिए तैनात डीआरएम और एसएमएस के विवरण की घोषणा करेगा। किसी भी अतिरिक्त डीआरएम/एसएमएस की तैनाती के मामले में, वितरक द्वारा प्रसारकों को सिस्टम के चालू होने से पहले इसकी सूचना दी जाएगी।</p>
13.	<p>यदि सक्रिय अवसंरचना का साझाकरण किया गया है तो, डीपीओ चैनलों के वितरण के लिए तैनात डीआरएम और एसएमएस के साझाकरण की घोषणा करेगा। किसी अतिरिक्त डीआरएम/एसएमएस की तैनाती के मामले में, वितरक द्वारा इसकी सूचना प्रसारकों को दी जानी चाहिए।</p>

14.	<p>एसएमएस में नीचे सूचीबद्ध न्यूनतम फ़्रील्ड के साथ दिनांक और समय के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन रिपोर्ट जेनरेट करने का प्रावधान होगा:</p> <p>(क) एसटीबी संख्या (या कार्ड रहित प्रणाली के मामले में, एसटीबी की चिप आईडी या मैक आईडी संख्या)</p> <p>(ख) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ए-ला-कार्टा चैनलों और बुके से संबंधित उत्पाद कोड</p> <p>(ग) पात्रता की प्रारंभ तिथि</p> <p>(घ) पात्रता की समाप्ति तिथि</p> <p>(ङ) एसटीबी की स्थिति (सक्रिय/निष्क्रिय)</p>
15.	<p>डीआरएम के फ़ाइल आउटपुट को 100% मिलान या बेमेल त्रुटि रिपोर्ट की तुलना करने और उत्पन्न करने के लिए एसएमएस सिस्टम द्वारा संसाधित किया जाएगा।</p>
16.	<p>चैनल/बुके प्रबंधन: एसएमएस निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा:</p> <p>(क) नाम, टैरिफ, प्रसारक, या डीपीओ बुके इत्यादि जैसे प्रासंगिक विवरणों के साथ सभी चैनल और बुके बनाना और प्रबंधित करना।</p> <p>(ख) समय-समय पर आवश्यकतानुसार चैनल/गुलदस्ते में परिवर्तन करना।</p> <p>(ग) एसएमएस और डीआरएम एकीकरण के सुचारू संचालन के लिए एसएमएस में प्रबंधित की जा रही उत्पाद जानकारी के साथ डीआरएम में बनाए गए ए-ला-कार्टा चैनलों और बुके (एकल और थोक) के लिए उत्पाद आईडी लिंक करना।</p> <p>(घ) उत्पाद के नाम ऐतिहासिक डेटा का प्रबंधन जैसे ब्रॉडकास्टर्स (नाम), अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), वितरक खुदरा मूल्य (डीआरपी)।</p>
17.	<p>नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) नीति का निर्माण: एसएमएस लागू टैरिफ आदेश द्वारा अनिवार्य सभी एनसीएफ संबंधित आवश्यकताओं का समर्थन करेगा।</p>
18.	<p>बिल/इनवाइस जनरेशन: एसएमएस उचित सब्सक्राइबर बिल/इनवाइस जेनरेट करने में सक्षम होगा, जिसमें एनसीएफ शुल्क, पे चैनल शुल्क (ए-ला-कार्टे चैनल लागत और बुके लागत के स्पष्ट विवरण के साथ), एसटीबी के लिए किराये के शुल्क (यदि कोई है), अन्य लागू शुल्क, जिसमें माल और सेवा कर (जीएसटी) शामिल हैं, का विवरण शामिल होगा।</p>
19.	<p>लॉग का प्रबंधन:</p> <p>(क) एसएमएस में प्रत्येक लॉगिन घटना पर उपयोगकर्ताओं की आईडी के साथ उपयोगकर्ता विवरण लॉग प्रदान करने की सुविधा होगी।</p> <p>(ख) एसएमएस में उपयोगकर्ता के कार्य इतिहास को ट्रैक करने में सक्षम करने के लिए उपयोगकर्ता गतिविधि लॉग रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान होगा। इसे लॉग से रिकॉर्ड को हटाने की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>(ग) सभी लॉग पर तिथि और समय की मुहर लगेगी और सिस्टम किसी भी लॉग को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं देगा।</p> <p>(घ) अनुसूची III में निर्दिष्ट अवधि के लिए या कम से कम दो ऑडिट साइकलों, जो भी बाद में हो, के लिए लॉग को बनाए रखा जाएगा।</p>

	<p>(ड़) चैनल सदस्यता रिपोर्ट: एसएमएस भादुविप्रा द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार ए-ला कार्टा और बुके सब्सक्रिप्शन दोनों सहित चैनलों के मासिक ग्राहकों के प्रसारक के अनुसार कुल संख्या प्रदान करने में सक्षम होगा।</p> <p>(च) डीआरएम और एसएमएस अलग और स्वतंत्र सर्वर पर चलने चाहिए।</p>
20.	<p>एसएमएस डेटाबेस और टेबल:</p> <p>(क) विक्रेता द्वारा घोषित डेटाबेस टेबल के बाहर कोई सक्रिय अद्वितीय ग्राहक नहीं होगा</p> <p>(ख) एसएमएस एसएमएस डेटाबेस को विभाजित करने या एक से अधिक घटना बनाने का विकल्प प्रदान नहीं करेगा।</p> <p>(ग) एसएमएस में ग्राहकों द्वारा वेबसाइट या एप्लिकेशन के माध्यम से वितरक प्लेटफॉर्म ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए इंटरफेस के माध्यम से चयन को सक्षम या अक्षम करने का प्रावधान होगा।</p> <p>(घ) एसएमएस लेखा परीक्षा या अन्यथा के लिए आवश्यक निम्नलिखित जानकारी को दर्ज करने में सक्षम होगा:</p> <p>(ड़) बुके ए ला कार्टा की स्थिति के परिवर्तन का इतिहास</p> <p>(च) बुके संरचना परिवर्तन का इतिहास</p> <p>(छ) कनेक्शन की स्थिति में परिवर्तन (प्राथमिक से माध्यमिक और इसके विपरीत</p>
21.	एसएमएस का उपयोग एक फ़ायरवॉल के माध्यम से किया जाएगा
22.	चैनल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसटीबी और मैक आईडी को एसएमएस से जोड़ा जाएगा (पेरिंग की सुविधा के साथ डीआरएम के लिए लागू)।
23.	एसएमएस चैनल द्वारा चैनल और एसटीबी द्वारा एसटीबी आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने में सक्षम होगा।
24.	एसएमएस में चैनलों/ए-ला कार्टा और बुके का मासिक मिलान करने की सुविधा होनी चाहिए (डीआरएम के साथ एसएमएस में बनाई गई उनकी संबंधित आईडी के साथ और भिन्नता रिपोर्ट डीआरएम और एसएमएस लॉग दोनों में उपलब्ध होनी चाहिए और लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई जानी चाहिए।) .
25.	<p>एसएमएस में एसटीबी/मैक आईडी से संबंधित निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान होना चाहिए:</p> <p>(क) सक्रिय/निष्क्रिय स्थिति के साथ एसटीबी/मैक आईडी की श्वेत सूची</p> <p>(ख) दोषपूर्ण एसटीबी / मैक आईडी - मरम्मत योग्य और जो मरम्मत योग्य नहीं है</p> <p>(ग) गोदाम से ताजा स्टॉक</p> <p>(घ) स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) के स्टॉक में</p> <p>(ड़) ब्लैकलिस्ट</p> <p>(च) सक्रिय रूप से तैनात</p> <p>(छ) स्थान के साथ परीक्षण/प्रदर्शन एसटीबी/मैक आईडी</p>
26.	लेखा परीक्षा से संबंधित आवश्यकताएं:

	<p>एसएमएस में नीचे दी गई जानकारी को दर्ज करने की क्षमता होनी चाहिए जो लेखा परीक्षा के लिए और अन्यथा आवश्यक हो सकती है:</p> <p>(क) सब्सक्राइबर से संबंधित:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) सब्सक्राइबर संपर्क विवरण परिवर्तन का इतिहास (ii) कनेक्शन गिनती का इतिहास (iii) डिस्कनेक्ट/सक्रिय/अस्थायी डिस्कनेक्ट के बीच कनेक्शन का ट्रांजिसन (iv) सदस्यता परिवर्तन का इतिहास <p>(ख) उत्पाद (बुके/ए-ला-कार्टा चैनल) से संबंधित:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) ब्रॉडकास्टर ए-ला-कार्टा संबंध (ii) बुके के नाम में परिवर्तन का इतिहास (iii) ए-ला-कार्टा के नाम में परिवर्तन इतिहास (iv) बुके ए-ला-कार्टा चैनल दर में परिवर्तन का इतिहास <p>(ग) एसटीबी से संबंधित:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) स्थान में परिवर्तन का इतिहास (ii) स्थिति में परिवर्तन (सक्रिय/क्षतिग्रस्त/मरम्मत/प्रतिस्थापित)
27.	<p>उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण: एसएमएस में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्रणाली से पंजीकृत मोबाइल नंबर (आरएमएन) के माध्यम से अपने ग्राहकों को प्रमाणित करने की क्षमता होनी चाहिए।</p>
28.	<p>एसएमएस में निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं का समर्थन करने का प्रावधान होना चाहिए:</p> <p>(क) डिजिटल हेडएंड (डीएचई) और जोन-वार ए-ला-कार्टा चैनलों और बुके की सूची: ए-ला-कार्टा चैनलों और बुके की जोन/सब-हेडेंड-वार सूची का समर्थन / प्रबंधन करने के प्रावधान के साथ समन्वयित डीआरएम में उपलब्ध सूची।</p> <p>(ख) उत्पाद (ए-ला-कार्टा चैनल और बुके) के अनुसार सब्सक्राइबर खाते के लिए नवीनीकरण और रिवर्सल सेटिंग: उत्पाद की समाप्ति तिथि के बाद ग्राहक को उत्पाद के नवीनीकरण की अनुमति देने का प्रावधान, और स्वचालित गणना और प्रावधान यदि ग्राहक किसी उत्पाद को बीच में बंद कर देता है तो उसे राशि वापस कर दी जाएगी। इन आवश्यकताओं को चुनिंदा उत्पादों पर कॉन्फिगर किया जा सकता है, जैसा कि डीपीओ द्वारा उनकी व्यावसायिक योजनाओं के अनुसार आवश्यक है।</p> <p>(ग) एलसीओ खाते के लिए उत्पाद (ए-ला-कार्टा चैनल और बुके) के अनुसार रिवर्सल सेटिंग: एलसीओ को देय राशि की गणना और वापसी का प्रावधान, यदि वह या ग्राहक किसी उत्पाद को बीच में बंद कर देता है। उत्पाद (ए-ला-कार्टा चैनल और बुके) की अवधि के अनुसार एलसीओ और सब्सक्राइबर छूट योजना/ मुफ्त दिन योजना: उत्पाद सदस्यता की अवधि (कार्यकाल) के आधार पर एलसीओ और सब्सक्राइबर के लिए डिस्काउंट स्कीम और प्री-डे स्कीम बनाने का प्रावधान</p>

(घ) **कैलेंडर/गतिविधि निर्धारण:** एसटीबी सक्रियता/निष्क्रियता, अ-ला-कार्टा चैनल और बुके जोड़ना/निकालना, चैनल/बुके संरचना में संशोधन आदि जैसी ऑटो-शेड्यूल गतिविधियों का प्रावधान।

(घ) बल्क चैनल/बुके प्रबंधन: सभी या एसटीबी के सभी या एक निर्दिष्ट समूह पर ए-ला- कार्टा चैनलों और बुके को जोड़ने और हटाने की गतिविधि करने का प्रावधान।

(ड़) टोकन-नंबर-आधारित रिपोर्ट: टोकन नंबर की सहायता से जेनरेट की गई रिपोर्ट डाउनलोड करने का प्रावधान, जैसे विभिन्न अवधियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

(च) तृतीय-पक्ष एकीकरण: प्रासंगिक तृतीय-पक्ष प्रणालियों के साथ एकीकरण का समर्थन करने का प्रावधान, जैसे भुगतान गेटवे एकीकरण, इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) एकीकरण, एसएमएस गेटवे एकीकरण, आदि।

(छ) बिल भुगतान और मिलान सुविधा: बिल भुगतान और मिलान के लिए प्रावधान (यदि कोई डीपीओ पोस्ट-पेड मोड में सेवा चल रहा है)।

(च) रिपोर्ट तैयार करना: परिचालन के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान:

- (i) पहली बार सक्रियण तिथि सहित सभी, चुनिंदा और सिंगल बॉक्स की वर्तमान स्थिति।
- (ii) अनुमति के अनुसार डैशबोर्ड पर दी गई भविष्य की तिथि तक ए-ला-कार्टा चैनलों और बुके और एसटीबी की समाप्ति विवरण की कुल संख्या।
- (iii) अनुमति के अनुसार आज तक की ताजा सक्रियण गणना, डी-एक्टिवेशन गणना, पुनः सक्रियता गणना, ए-ला-कार्टा चैनल और बुके जोड़ने/हटाने की गणना।

(छ) कई मानदंडों के साथ कुल सक्रिय और निष्क्रिय ग्राहक का विवरण (नेटवर्क-वार, ए-ला कार्टा चैनल और बुके-वार, राज्य-शहर-वार और प्रसारक-वार)।

(ड़) ग्राहकों को सशर्त उपलब्धता आईपीटीवी सेवाओं के लिए एन्क्रिप्शन के लिए डीआरएम आवश्यकताएं

तालिका 2

क्रम संख्या	ग्राहकों और एन्क्रिप्शन द्वारा सशर्त उपलब्धता के लिए प्रस्तावित डीआरएम आवश्यकताएं
1.	डीपीओ यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोग में आने वाले डीआरएम के वर्तमान संस्करण में हैकिंग का कोई इतिहास नहीं है। इस आवश्यकता के अनुपालन के रूप में वार्षिक आधार पर डीआरएम विक्रेता से एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
2.	डीआरएम सुनिश्चित करेगा कि सभी लॉग गैर-संपादन योग्य हैं, जिन पर लेनदेन की तारीख और समय के साथ मुहर लगी है (सक्रियता, निष्क्रियता, चैनल प्राधिकरण/असाइनमेंट और गैर-प्राधिकरण/डी-असाइनमेंट और मैक आईडी/एसटीबी में सभी परिवर्तन)। डीआरएम

	किसी भी लॉग को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं देगा। वितरकों/उपयोगकर्ताओं के पास लॉग्स को क्लियर करने की कोई सुविधा नहीं होगी।
3.	तैनात डीआरएम में डीआरएम के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) टर्मिनल से सीधे सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) को सक्रिय और निष्क्रिय करने की सुविधा नहीं है। एसटीबी की सभी सक्रियताएँ और निष्क्रियताएँ डीआरएम के साथ एकीकृत एसएमएस के आदेशों के साथ की जाएगी। डीआरएम को एसएमएस के साथ इस तरह से एकीकृत किया जाएगा जिससे चैनल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
4.	एसएमएस और डीआरएम को इस तरह से एकीकृत किया जाना चाहिए कि एसटीबी की सक्रियता और निष्क्रियता दोनों प्रणालियों में एक साथ हो। स्पष्टीकरण: आवश्यक और पर्याप्त तरीके अपनाए जाएंगे ताकि एसटीबी का प्रत्येक सक्रियण और निष्क्रियता डीआरएम से उत्पन्न रिपोर्ट में परिलक्षित हो।
5.	तैनात डीआरएम केवल टू-वे नेटवर्क का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए।
6.	तैनात डीआरएम किसी भी प्रावधान के लिए कार्ड और कार्ड रहित एसटीबी दोनों का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए।
7.	<p>तैनात डीआरएम कम से कम पिछले दो (2) वर्षों के लिए डीआरएम के साथ एकीकृत एसएमएस द्वारा जारी डीआरएम में निष्पादित प्रत्येक कमांड के अनुरूप लेखा परीक्षा के दौरान सत्यापन उद्देश्य के लिए स्वतंत्र रिपोर्ट और लॉग बनाने, रिकॉर्ड करने, बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। रिपोर्ट में दिनांक और समय की मोहर होनी चाहिए। प्रस्तावित रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए:</p> <p>(क) किसी भी वांछित तिथि पर अद्वितीय सक्रिय एसटीबी गणना के साथ-साथ मैक आईडी वार</p> <p>(ख) किसी विशिष्ट तिथि पर विशिष्ट एसटीबी के लिए सक्रिय यूनिक बुके/चैनल</p> <p>(ग) सेवा अनुरोधों के लिए मैक आईडी वार सक्रिय-निष्क्रिय रिपोर्ट</p> <p>(घ) बुके और/या डीआरएम में कॉन्फ़िगर किए गए चैनलों में कोई परिवर्तन</p> <p>(ङ) ब्लैकलिस्ट एसटीबी रिपोर्ट</p> <p>(च) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चैनलों/बुके से संबंधित उत्पाद कोड</p> <p>(छ) एसटीबी को चैनल/गुलदस्ता प्राधिकार/असाइनमेंट के साथ पात्रता की आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि</p> <p>(ज) एसटीबी-वीसी पेयरिंग/डी-पेयरिंग (यदि लागू हो)</p> <p>(झ) एसटीबी एक्टिवेशन/डी-एक्टिवेशन</p>

	<p>(ट) एसटीबी को चैनल असाइनमेंट</p> <p>(ठ) एक निश्चित अवधि के लिए किसी विशेष चैनल की सक्रियता या निष्क्रियता की रिपोर्ट</p> <p>(ड) पंजीकृत ग्राहकों की कुल संख्या</p> <p>(ढ) सक्रिय ग्राहकों की कुल संख्या</p> <p>(ण) अस्थायी रूप से निलंबित ग्राहकों की कुल संख्या</p> <p>(त) निष्क्रिय ग्राहकों की कुल संख्या</p> <p>(थ) डीआरएम में ब्लैकलिस्ट में डाले गए एसटीबी की सूची</p> <p>(द) निर्धारित प्रारूप में चैनल और बुके वार मासिक सदस्यता रिपोर्ट।</p> <p>(ध) प्रत्येक बुके का हिस्सा बनने वाले चैनलों के नाम</p> <p>(न) एक निश्चित समय में किसी विशेष चैनल या बुके की सदस्यता लेने वाले सक्रिय ग्राहकों की कुल संख्या</p> <p>(प) एक ग्राहक द्वारा सब्सक्राइब किए गए ए-ला कार्ड चैनल और बुके का नाम</p> <p>(फ) किसी विशेष चैनल या बुके की सदस्यता के लिए एजिंग रिपोर्ट</p>
8.	तैनात डीआरएम किसी भी चोरी के मामले में एसटीबी को स्वतंत्र रूप से टैग और ब्लैकलिस्ट करने में सक्षम होना चाहिए।
9.	तैनात डीआरएम के पास पूरे वर्ष 24x7 आधार पर सिस्टम को बनाए रखने के लिए भारत में तकनीकी क्षमता होनी चाहिए।
10.	डीआरएम और एसएमएस को इस तरह से एकीकृत किया जाना चाहिए कि एसएमएस से किसी भी ग्राहक के निष्क्रिय होने पर, उस ग्राहक को सभी कार्यक्रम/सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
11.	डीआरएम, डीआरएम के साथ एकीकृत एसएमएस के प्रत्येक कमांड के लॉग सहित डीआरएम के माध्यम से निष्पादित प्रत्येक कमांड के लिए कम से कम निरंतर दो वर्षों के लिए असंपादित डेटा / लॉग उत्पन्न करने, रिकॉर्ड करने और संरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए।
12.	तैनात डीआरएम सॉफ्टवेयर बेस के साथ-साथ हार्डवेयर बेस सुरक्षा दोनों का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए।
13.	डीआरएम एक से अधिक एलसीएन, और दूसरे चैनल डिस्ट्रिब्यूटर के अंतर्गत प्रत्येक हेडएंड द्वारा प्रदान किए जाने वाले वितरक के नेटवर्क में समान नाम या नामकरण वाले चैनल के कैरियर का समर्थन नहीं करेगा। इसके अलावा, डीआरएम में उपलब्ध प्रत्येक चैनल को एसएमएस में उपलब्ध चैनलों के साथ विशिष्ट रूप से मैप किया जाएगा।

14.	डीआरएम एसएमएस में की गई गतिविधि के अनुरूप वास्तविक समय के आधार पर आवश्यकतानुसार चैनल/बुके जोड़ने/संशोधित करने में सक्षम होगा।
15.	डीआरएम को केवल सहमत डीपीओ के ब्रांडेड/स्वामित्व और एसटीबी के लिए डीपीओ के आपूर्ति किए गए बिजनेस मॉडल का समर्थन करना चाहिए
16.	जब बुनियादी ढांचे का आबंटन उपलब्ध होता है, तो ऐसे मामलों में डीआरएम कई डीपीओ का समर्थन करने में सक्षम होगा।
17.	डीआरएम को बी 2 सी मॉडल के लिए सामग्री सुरक्षा और उपयोग नियम लागू करने का समर्थन करना चाहिए
18.	प्रति मिनट कम से कम 3 मिलियन लाइसेंस लेनदेन को संभालने में सक्षम होना चाहिए।
19.	डीआरएम को अलग-अलग कुंजियों के साथ सामग्री स्ट्रीम के अलग-अलग ट्रैक के एन्क्रिप्शन अर्थात् ट्रैक स्तर की सुरक्षा का समर्थन करना चाहिए,
20.	डीआरएम को कुंजी रोटेशन अर्थात्, सुरक्षा कुंजियों का आवधिक परिवर्तन का समर्थन करना चाहिए,
21.	यदि डीपीओ ने हाइब्रिड एसटीबी तैनात किए हैं, तो डीआरएम यह सुनिश्चित करेगा कि ओवर-द-टॉप (ओटीटी) ऐप और किसी भी ब्राउज़र को डीपीओ द्वारा अपने सिस्टम से प्रदान किए गए लिनियर टेलीविजन चैनलों तक पहुंच उपलब्ध नहार्ई होती है, और इसी तरह, आईपीटीवी सेवा के लिए डीआरएम ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए डिलीवर किए गए चैनलों तक पहुंच नहीं मिलनी चाहिए। बशर्ते कि, डीआरएम के लिए सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन हाइब्रिड एसटीबी द्वारा किया जाएगा।
22.	डेटाबेस टेबल के बाहर कोई सक्रिय यूनिक सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, एक डीपीओ या विक्रेता द्वारा एक से अधिक उदाहरण बनाने के लिए डीआरएम डेटाबेस को विभाजित करने का विकल्प नहीं होगा।
23.	इसे डीआरएम डेटाबेस में यूनिक एक्सेस (यूए)/मैक आईडी विवरण अपलोड करने के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों का समर्थन करना चाहिए: (क) वितरक द्वारा खरीदे गए मैक आईडी विवरण की एक सुरक्षित गैर-संपादन योग्य फ़ाइल, जिसे डीआरएम विक्रेता द्वारा सीधे डीआरएम सर्वर पर अपलोड किया जाना है, (ख) यदि इसे किसी अन्य रूप में अपलोड किया जाता है, तो डीआरएम डेटाबेस में यूए/मैक आईडी को लॉग में दर्ज किया जाएगा, (ग) इसके अलावा, डीआरएम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एसएमएस में ऐसे यूए/मैक आईडी विवरण को भरने के लिए एक स्वचालित, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) आधारित तंत्र का समर्थन करेगा।
24.	बैकअप सर्वर होना अनिवार्य होगा और मुख्य सर्वर में की जाने वाली सभी गतिविधियों के लॉग को साथ-साथ बैकअप सर्वर में कॉपी किया जाएगा: बशर्ते कि ऐसे सभी उदाहरणों का एक लॉग दिनांक और समय टिकट के साथ रखा जाएगा, जहां बैकअप सर्वर का उपयोग मुख्य सर्वर के रूप में किया जाता है:

	बशर्ते कि मुख्य और बैकअप सर्वर सभी डेटा, जैसे सब्सक्रिप्शन डेटा, एसटीबी यूए/मैक आईडी विवरण, पात्रता स्तर की जानकारी आदि के संबंध में हमेशा समन्वयित रहेगा।
25.	डीआरएम और एसएमएस यह सुनिश्चित करेंगे कि डेटाबेस तक पहुंच केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, और केवल "रीड ओनली" मोड में है। इसके अलावा, डेटाबेस ऑडिट ट्रेल को स्थायी रूप से सक्षम किया जाएगा। व्याख्या: यहां डेटाबेस उस डेटाबेस को संदर्भित करता है जहां एसटीबी सक्रियता, निष्क्रियता, सदस्यता डेटा, एसटीबी यूए / मैक आईडी विवरण, पात्रता स्तर की जानकारी आदि से संबंधित सभी गतिविधियों का डेटा और लॉग संग्रहीत किया जाता है।
26.	ए- ला -कार्टा चैनलों या बुके का प्रावधान: (क) डीआरएम (और एसएमएस) एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए सभी चैनलों को ए- ला -कार्टा मोड में व्यवस्थित करने में सक्षम होंगे। (ख) डीआरएम (और एसएमएस) में इतनी संख्या में ब्रॉडकास्टर / डीपीओ बुके को व्यवस्थित की क्षमता होगी, जैसा कि डीपीओ द्वारा आवश्यक है।
27.	डीआरएम और एसएमएस एप्लिकेशन, उनके संबंधित डेटाबेस के साथ, इस तरह से संग्रहीत किए जाएंगे कि उन्हें अलग से पहचाना जा सके।
28.	डीआरएम के पास एसएमएस डेटाबेस के साथ समाधान के लिए डेटाबेस/रिपोर्ट को भेजने का प्रावधान होगा। इसके अलावा, सुरक्षित एपीआई/सुरक्षित स्क्रिप्ट के माध्यम से समाधान का प्रावधान होगा।
29.	डीआरएम में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए: (क) डीआरएम में पात्रता समाप्ति तिथि एसएमएस में पात्रता समाप्ति तिथि के बराबर होगी, (ख) डीआरएम में पात्रता समाप्ति तिथि ओपन होगी और यह एसएमएस बिलिंग साइकलों और भुगतानों के आधार पर पात्रता का प्रबंधन करेगा।
30.	डीपीओ द्वारा तैनात डीआरएम में हर 10 मिनट में देखने के लिए यूनिक लाइसेंस कुंजी की आवश्यकता होगी।
31.	चैनलों में प्रत्येक परिवर्तन के लिए डीआरएम द्वारा नई लाइसेंस की जारी की जानी चाहिए। डीआरएम द्वारा जारी लाइसेंस की सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड होनी चाहिए। डीआरएम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसटीबी को आईपीटीवी सिस्टम द्वारा निर्दिष्ट स्रोत के अलावा किसी अन्य स्रोत से सत्यापन की प्राप्त नहीं होती है।
32.	डीआरएम सर्वरों को डेटा स्थानीयकरण, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित मौजूदा प्रावधानों (यदि कोई हो) के अंतर्गत प्रासंगिक खंड सहित मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। एसएमएस और डीपीओ सिस्टम के साथ एकीकृत करने के लिए मुख्य डीआरएम सर्वर को किसी अन्य स्थान (भारत या अन्य देश) से किसी प्रॉक्सी या किसी अन्य सर्वर से जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

33.	आईपीटीवी ट्रांसमिशन को केबल टीवी ट्रांसमिशन की तरह ही मल्टीकास्ट मोड में होना चाहिए। ऐसा कोई मामला नहीं हो सकता जहां यूनिकास्ट की अनुमति हो। कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग के लिए सुविधाओं वाले एसटीबी में एक प्रतिलिपि सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए (अर्थात, एक ऐसी सुविधा जो सामग्री के पुनरुत्पादन और/या अनधिकृत प्रतिलिपि बनाने और सामग्री के वितरण को रोकती है) और ऐसी रिकॉर्ड की गई सामग्री को किसी अन्य डिवाइस पर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।
34.	एसटीबी को रैखिक सामग्री वितरित करने के लिए आईपीटीवी प्रसारण को अपने सिस्टम में किसी भी सामग्री वितरण नेटवर्क (सीडीएन) को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
35.	आईपीटीवी को एसटीबी को छोड़कर किसी अन्य डिवाइस पर लिनियर सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसे डीआरएम में श्वेतसूची में रखा गया है।
36.	आईपीटीवी में टोकन प्रमाणीकरण अवधि के साथ सत्र आधारित/टोकन प्रमाणीकरण को लागू करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि इसे कुछ मिनटों के लिए नियंत्रित किया जा सके।
37.	आईपीटीवी सिस्टम को हेडएंड/नेटवर्क स्तर पर लीनियर चैनल की रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसे केवल एसटीबी/डीवीआर स्तर पर रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जानी चाहिए, इस तरह की रिकॉर्ड की गई सामग्री को किसी अन्य डिवाइस में स्थानांतरित करने के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
38.	डीआरएम में निम्नलिखित नीतियां लागू होनी चाहिए: (क) इसे उपयोगकर्ता को आंशिक या पूर्ण रूप से सामग्री को संपादित करने या सहेजने के लिए प्रतिबंधित करना चाहिए। (ख) इसे उपयोगकर्ता को एसटीबी से सामग्री को साझा करने या अग्रेषित करने या मिरर करने से प्रतिबंधित करना चाहिए (ग) इसे उपयोगकर्ता को स्क्रीन शॉट्स या स्क्रीन ग्रैब या स्क्रीन-रिकॉर्डिंग लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। (घ) इसे केवल अधिकृत एसटीबी तक पहुंच को लॉक करना चाहिए। (ङ) इसमें जियो ब्लॉकिंग होनी चाहिए, जो स्थानों पर टीवी चैनलों के प्रसारण को प्रतिबंधित करने के लिए डीपीओ/आईपीटीवी सेवा प्रदाता को निर्धारित करने और निर्देश देने में ब्रॉडकास्टर को सक्षम बनाता है। (च) यह विभिन्न नीतियों के आधार पर एसटीबी के अंत में रिकॉर्ड की गई सामग्री की समाप्ति तिथि निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए।
39.	डीआरएम में ओवर-द-एयर (ओटीए) अपग्रेड करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि कनेक्टेड एसटीबी में हमेशा डीआरएम का सबसे नवीनतम संस्करण हो।

40.	डीपीओ यह सुनिश्चित करेगा कि डीआरएम को आवश्यक पैच, त्रुटि सुधार, परिवर्धन, संस्करण रिलीज आदि स्थापित करके नियमित अंतराल पर अपग्रेड / अपग्रेड किया जाता है ताकि हर समय चैनलों और सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
41.	डीआरएम में ऐसी कोई कार्यक्षमता जोड़ी या हटाई नहीं जानी चाहिए जो चैनलों की सुरक्षा से समझौता करती हो। डीपीओ, डीआरएम एकीकृत एसटीबी का उपयोग करके अपने आईपीटीवी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारण से पहले चैनलों के सिग्नल के एन्क्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होगा। सभी लागत/खर्च (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) जो इस तरह के अपग्रेडेशन के लिए और सब्सक्राइबर्स को चैनलों के पुनर्प्रसारण और/या वितरण/वितरण के लिए किए जाने वाले या देय होने की आवश्यकता है, केवल ऐसे डीपीओ द्वारा वहन किया जाएगा। डीपीओ किसी भी नुकसान, चोरी, अनधिकृत उपयोग, चैनल या उसके किसी भी हिस्से को लेने या कॉपी करने से रोकने के लिए सभी उचित सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को नियोजित करेगा और इस तरह की घटना के बारे में जागरूक होने के बाद जितनी जल्दी हो सके प्रसारकों को सूचित करेगा। हुआ
42.	डीआरएम को किसी भी तरह से फिंगरप्रिंटिंग में हस्तक्षेप/अमान्य नहीं करना चाहिए।
43.	डीपीओ तुरंत, और अपनी पूरी लागत और खर्च पर, डीआरएम (जैसे बग, दोष, चूक या इसी तरह की अन्य समस्या) के साथ किसी भी समस्या को ठीक करेगा जो ग्राहकों को डीआरएम एकीकृत एसटीबी के माध्यम से डीआरएम एकीकृत एसटीबी या चैनलों तक पहुंचने से रोकता है।
44.	डीपीओ प्रसारकों को डीआरएम एकीकृत एसटीबी द्वारा समर्थित वीडियो और ऑडियो कोडेक प्रदान करेगा। डीपीओ यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कोडेक मापदंडों में ऐसा कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया गया है जिससे ब्रॉडकास्टर्स को चैनल/सामग्री के वितरण के लिए कोई खर्च वहन करने की आवश्यकता होगी जो दर्शकों की समस्याओं से मुक्त हो (बिना ऑडियो वाला वीडियो, ऑडियो वाला वीडियो शामिल है) कोई वीडियो या महत्वपूर्ण संकेत विरूपण नहीं
45.	डीआरएम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एकीकृत एसटीबी इंटरनेट प्रोटोकॉल पते और सेवा पते के संदर्भ में भारत के अंदर स्थापित रूप से स्थित हैं। इसके अलावा, डीआरएम इंटरनेट/मोबाइल डिवाइस पर डिलीवरी की अनुमति नहीं देगा। डीआरएम को भारत से बाहर या प्रॉक्सी को आईपी पते पर चैनलों की डिलीवरी को रोकने के लिए उद्योग-मानक साधनों (आईपी-एड्रेस लुक-अप तकनीक सहित, परदे के पीछे की स्क्रीनिंग और ब्लॉकिंग (अनाम और नकली प्रॉक्सी सहित) का उपयोग करना चाहिए।
46.	डीआरएम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चैनल केवल ऐसे ग्राहकों के एकीकृत एसटीबी पर उपलब्ध हैं जो चैनलों के वितरक के वर्तमान, वैध ग्राहक हैं, और इस तरह की पुष्टि डीआरएम द्वारा चैनल को वास्तव में डिलीवर करने (या डिलीवरी को अधिकृत करने) से पहले होनी चाहिए।
47.	एसएमएस से किसी भी ग्राहक के निष्क्रिय होने पर, डीआरएम उस ग्राहक को सभी कार्यक्रमों/सेवाओं के वितरण को प्रतिबंधित कर देगा।

48.	डीआरएम लिनियर चैनलों के प्रसारण से पहले, उसके दौरान या बाद में किसी भी स्व-प्रचार और/या किसी तीसरे पक्ष को सम्मिलित करने और/या विज्ञापनों के लिए भुगतान (बैनर और एस्टन बैंड सहित) की अनुमति नहीं देगा।
49.	डीआरएम ग्राहकों को चैनलों से चैनल/सामग्री को रिकॉर्ड करने और/या स्टोर करने की अनुमति नहीं देगा।
50.	डीआरएम को चैनलों पर उनके पुनः प्रसारण के समय किसी भी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या किसी अन्य स्वामित्व वाली जानकारी को मास्क/हटा नहीं देना चाहिए।
51.	डीपीओ डीआरएम और/या ब्रॉडकास्टर द्वारा डीपीओ को दिए गए किसी भी अधिकार को चैनलों के पुनः प्रसारण के लिए सब्सक्राइबर्स को आगे नहीं देगा।

सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे बिक्री के बाद सेवाओं और एक स्थानीय इकाई के माध्यम से सहायता का प्रावधान चाहते हैं ताकि अन्य बातों के साथ-साथ डीआरएम उपकरण आपूर्तिकर्ता से डीआरएम उपकरण की खरीद के दौरान किसी भी तकनीकी और पायरेसी से संबंधित मुद्दों का त्वरित समाधान प्रदान किया जा सके।

(च) डीआरएम आवश्यकताएं जहां तक वे आईपीटीवी सेवाओं के लिए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित हैं

तालिका 3

क्रम संख्या	डीआरएम के अंतर्गत फिंगरप्रिंटिंग की आवश्यकताएं
1.	डीपीओ यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास नियमित अंतराल पर फिंगरप्रिंटिंग चलाने के लिए सिस्टम, प्रक्रियाएं और नियंत्रण हैं
2.	एसटीबी को विजिबल और गुप्त दोनों प्रकार की फिंगर प्रिंटिंग का समर्थन करना चाहिए।
3.	किसी भी उपकरण या सॉफ्टवेयर के उपयोग से फिंगरप्रिंटिंग अमान्य नहीं होनी चाहिए।
4.	एसटीबी के रिमोट पर किसी भी कुंजी को दबाने से फिंगरप्रिंटिंग हटाने योग्य नहीं होनी चाहिए।
5.	फिंगर प्रिंटिंग वीडियो की सबसे ऊपरी परत पर होनी चाहिए।
6.	फिंगर प्रिंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वह यूनिक एसटीबी नंबर या यूनिक वीसी नंबर या मैक आईडी की पहचान कर सके।
7.	फिंगर प्रिंटिंग स्क्रीन पर सभी परिदृश्यों में दिखाई देनी चाहिए, जैसे मेनू, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी), सेटिंग्स, ब्लैक स्क्रीन और गेम आदि।

8.	फ़िगरप्रिंट का स्थान, फ़्रॉन्ट का रंग और पृष्ठभूमि का रंग हेड एंड से परिवर्तनशील होना चाहिए और देखने वाले डिवाइस पर यादृच्छिक होना चाहिए।
9.	अद्वितीय एसटीबी और/या मैक आईडी की पहचान करने के लिए फ़िगर प्रिंटिंग वर्णों की संख्या देने में सक्षम होना चाहिए।
10.	फ़िगर प्रिंटिंग वैश्विक और व्यक्तिगत एसटीबी आधार पर संभव होनी चाहिए।
11.	डीपीओ द्वारा समय, स्थान, अवधि और आवृत्ति के संबंध में बिना किसी परिवर्तन के खुले फ़िगरप्रिंटिंग/वॉटरमार्किंग प्रदर्शित की जानी चाहिए।
12.	तैनात डीआरएम वैश्विक फ़िगरप्रिंटिंग के साथ-साथ लक्षित चैनल फ़िगरप्रिंटिंग/वॉटरमार्किंग दोनों फ़िगरप्रिंटिंग/वॉटरमार्किंग उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए।
13.	डीआरएम एसटीबी स्तर पर फ़ोरेंसिक वॉटरमार्किंग का समर्थन और सक्षम करेगा।
14.	डीआरएम के पास 24x7x365 आधार पर प्रत्येक दस (10) मिनट में कम से कम एक फ़िगरप्रिंटिंग के नियमित अंतराल पर फ़िगरप्रिंटिंग चलाने और अनुरोध पर प्रसारकों को फ़िगरप्रिंट शेड्यूल प्रदान करने की क्षमता होगी।
15.	डीआरएम के पास ऐसे अंतराल पर अनुकूलित फ़िगरप्रिंटिंग चलाने की क्षमता होगी जैसा कि प्रसारकों द्वारा अनुरोध किया जा सकता है। इसके अलावा, डीपीओ अनिवार्य रूप से 24x7x365 आधार पर प्रति घंटे न्यूनतम 2 फ़िगर प्रिंट के साथ नियमित अंतराल पर फ़िगरप्रिंटिंग चलाएंगे और अनुरोध पर प्रसारकों को फ़िगरप्रिंट शेड्यूल प्रदान करेंगे।

(छ) एसटीबी के संबंध में डीआरएम आवश्यकताएं

तालिका 4

क्रम संख्या	आईपीटीवी सेवाओं के लिए डीआरएम के लिए एसटीबी आवश्यकताएँ
1.	सभी एसटीबी के पास डीआरएम सामग्री सुरक्षा होनी चाहिए।
2.	तैनात एसटीबी सामग्री डिक्लिप्शन, डिकोडिंग और डीआरएम लाइसेंस मूल्यांकन का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए।
3.	एसटीबी को डीआरएम/एसएमएस के माध्यम से हेडएंड से डाली गई फ़िगरप्रिंटिंग प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए। एसटीबी को लक्षित चैनल फ़िगरप्रिंटिंग के साथ-साथ सभी वैश्विक फ़िगरप्रिंटिंग दोनों का समर्थन करना चाहिए।
4.	एसटीबी को हेड-एंड से व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।
5.	एसटीबी को हेड-एंड से संदेश प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।

6.	मैसेजिंग कैरेक्टर की लंबाई कम से कम 120 कैरेक्टर की होनी चाहिए।
7.	ग्लोबल मैसेजिंग, ग्रुप मैसेजिंग और व्यक्तिगत एसटीबी मैसेजिंग का प्रावधान होना चाहिए।
8.	एसटीबी को लागू भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप होना चाहिए
9.	ओटीए सॉफ्टवेयर अपग्रेड की सुविधा के लिए एसटीबी को ओवर द एयर संबोधित किया जाना चाहिए।
10.	कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करने की सुविधा वाले एसटीबी में अंतरराष्ट्रीय मानक प्रति सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए
11.	एसटीबी में यह प्रावधान होना चाहिए कि फिंगरप्रिंटिंग कभी भी अक्षम न हो।
12.	सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो केवल एन्कोडर के अंत में डाला जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के मामले में, यह इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के नियमों और शर्तों के अनुसार होगा।
13.	तैनात डीआरएम स्कॉल मैसेजिंग भेजने में सक्षम होना चाहिए जो केवल स्क्रीन के निचले हिस्से में उपलब्ध होना चाहिए।
14.	तैनात डीआरएम सुरक्षा के लिए नेटवर्क में तैनात एसटीबी को जियो टैग करने में सक्षम होना चाहिए।
15.	एसटीबी को सभी कमांड सीधे डीआरएम से लेनी चाहिए न कि किसी इंटरमीडिएट सर्वर से।
16.	एसटीबी में किसी भी तृतीय पक्ष ऐप/एपीके (हाइब्रिड एसटीबी सहित, यदि कोई हो) को डाउनलोड (डायरेक्ट या साइड डाउनलोड) करने की सुविधा नहीं होनी चाहिए और किसी भी ब्राउज़र तक उसकी पहुंच नहीं होनी चाहिए।
17.	एसटीबी आईपीटीवी बंद नेटवर्क के माध्यम से आईपीटीवी सिस्टम को छोड़कर किसी अन्य स्रोत से सत्यापन की तक पहुंचने में सक्षम नहीं होना चाहिए। डीआरएम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसटीबी को आईपीटीवी सिस्टम द्वारा निर्दिष्ट स्रोत के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राधिकरण की प्राप्त नहीं हुई है।
18.	एसटीबी के पास थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने के लिए कोई प्ले स्टोर नहीं होना चाहिए।
19.	एसटीबी में कॉपी सुरक्षा होनी चाहिए - संस्करण 2 और इसके बाद के संस्करण के साथ एचडीसीपी, संस्करण 7 और इसके बाद के संस्करण के साथ डीएचसीपी, सीजीएमएस और मैक्रोविजन।
20.	डीपीओ प्रणाली में एसटीबी के अंत में किसी भी ऐप को डाउनलोड करने सहित सभी गतिविधियों और कॉन्फिगरेशन के गैर-संपादन योग्य लॉग को बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए।
21.	डीआरएम को एचएलएस, स्मूथ स्ट्रीमिंग, डैश और एचटीटीपी/टीसीपी पर लीनियर टीवी चैनल डिलीवर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

22.	एसटीबी में अनिवार्य फिंगर प्रिंटिंग डिस्ले सहित अनिवार्य संदेश भेजने की क्षमता होनी चाहिए।
23.	डीआरएम एकीकृत एसटीबी को ग्राहकों के परिसर में सीडिंग करने से पहले निम्नलिखित के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए: (क) सिस्टम डाउन टेस्टिंग (ख) त्रुटि संदेश (ग) नकारात्मक उपयोगकर्ता यात्रा परीक्षण (घ) डिवाइस विचरण परीक्षण (ङ) विनाशकारी परीक्षण (च) एप्लिकेशन निगरानी परीक्षण (छ) इन-ऐप निगरानी परीक्षण

ह./-

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादुविप्रा

नोट 1: प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 21-4/2016-बी एंड सीएस दिनांक 3 मार्च 2017 (2017 का 1) के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे।

नोट 2: मूल विनियमों को अधिसूचना संख्या 21-6/2019-बी एंड सीएस दिनांक 30 अक्टूबर 2019 (2019 का 7) द्वारा संशोधित किया गया था।

नोट 3: मूल विनियमों को अधिसूचना संख्या 21-5/2019-बी एंड सीएस दिनांक 1 जनवरी 2020 (2020 का 1) के द्वारा संशोधित किया गया था।

नोट 4: मूल विनियमों को अधिसूचना संख्या आरजी-1/2/(3)/2021-B और CS(2) दिनांक 11 जून 2021 (2021 का 1) के द्वारा संशोधित किया गया था।

टिप्पणी। 5: व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रसेबल सिस्टम्स) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का ___) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

परिचय और पृष्ठभूमि

1. भादूविप्रा ने 03.03.2017 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियमन, 2017 [इसके बाद "अंतःसंयोजन विनियम 2017" के रूप में संदर्भित] को अधिसूचित किया।

2. अंकेक्षण नियमावली को तैयार करने के लिए किए गए परामर्श के दौरान, कुछ टिप्पणियों और प्रेक्षणों में अंतःसंयोजन विनियम 2017 की अनुसूची III के कुछ मुद्दों को उठाया गया।

3. तदनुसार, 27 अगस्त, 2019 को मसौदा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणाली) (संशोधन) विनियम, 2019 (इसमें आगे जिसे मसौदा विनियम कहा गया है) जारी किए गए थे। इन मसौदा विनियमों द्वारा निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III में संशोधन किए गए हैं: -

- i. डिजिटल राइट मैनेजमेंट प्रणाली
- ii. सीएस और एसएमएस प्रणाली की ट्रांजेक्शनल क्षमता
- iii. फिंगरप्रिंटिंग-एसटीबी में विजिबल और कवर्ट फिंगरप्रिंटिंग के लिए सपोर्ट
- iv. सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो

4. डीआरएम डिजिटल मीडिया के कॉपीराइट सुरक्षा के लिए एक उचित दृष्टिकोण है। डीआरएम का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के अनधिकृत पुनर्वितरण को रोकना और उन तरीकों को पर रोक लगाना है, जिनके द्वारा उपभोक्ता खरीदी गई सामग्री को कॉपी कर सकते हैं। डीआरएम उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बेची गई सामग्री की ऑनलाइन चोरी में तेज वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया था, जो सहकर्मी से सहकर्मी फ़ाइल विनियम कार्यक्रमों के व्यापक उपयोग के माध्यम से विकसित हुआ था। आमतौर पर, डीआरएम को कोड लगाके लागू किया जाता है जो कॉपी करने से रोकता है, एक समय अवधि निर्दिष्ट करता है जिसमें सामग्री को एक्सेस किया जा सकता है या मीडिया पर स्थापित किए जा सकने वाले उपकरणों की संख्या को सीमित करता है। डीआरएम प्रौद्योगिकी पहले सामग्री को चोरी करना असंभव बनाने पर केंद्रित है, जो कि तथ्य के बाद ऑनलाइन शिकारियों को पकड़ने के उद्देश्य से हिट-एंड-मिस रणनीतियों की तुलना में समस्या के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण है।

5. अंतःसंयोजन विनियम 2017 की अनुसूची III डीआरएम आधारित प्रणालियों की अपेक्षाओं/विशिष्टियों के लिए प्रावधान नहीं करती है। प्राधिकरण को अंकेक्षण नियमावली पर अपने परामर्श के दौरान, प्रतिक्रिया मिली कि इसके लाभ के कारण आईपीटीवी आधारित डीपीओ डीआरएम प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। यह आवश्यक है कि अंकेक्षण के दायरे में डीआरएम आधारित नेटवर्क को शामिल करें और ऐसे ऑपरेटरों को सक्षम करने के लिए प्रावधान करे। तदनुसार, मसौदा विनियमों में अनुसूची प्प में डीआरएम विशिष्टियां शामिल की गई थी।

6. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकरण को इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त किए। कई हितधारकों द्वारा कई संशोधन / परिवर्धन प्रस्तावित किए गए थे। इसलिए, प्राधिकरण की राय थी कि डीआरएम के लिए सिस्टम अपेक्षाओं पर एक अलग परामर्श पत्र में विचार किया जाएगा (अंतःसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2019 दिनांक 30.10.2019 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 34 का संदर्भ लें)।

7. प्राधिकरण का मत है कि " डिजिटल राइट मैनेजमेंट प्रणाली के लिए सिस्टम आवश्यकताएँ" से संबंधित मुद्दे पर, उद्योग के हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने 'डिजिटल राइट मैनेजमेंट के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट (डीआरएम)' का मसौदा तैयार करने और प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए उद्योग हितधारकों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया। समिति में निम्नलिखित फर्मों/संगठनों/संघों के प्रतिनिधि थे:

- ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)
- इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ)
- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए)
- ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ)
- डिश टीवी
- टाटा स्काई
- भारती टेलीमीडिया
- सन डायरेक्ट
- एनएक्सटी डिजिटल
- आईआईटी कानपुर
- आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड
- डेलीनेट ब्रॉडबैंड

8. समिति के विचारार्थ विषय थे:

(i) भादूविप्रा के दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियमन, 2017 और इसके संशोधनों (बाद में इसे "अंतःसंयोजन विनियमन 2017" कहा जाएगा) का अध्ययन करना ।

(ii) अंतःसंयोजन विनियमन 2017 की अनुसूची III में शामिल किए जाने के लिए "डिजिटल राइट मैनेजमेंट (डीआरएम) के लिए सिस्टम आवश्यकता" पर प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रदान करना।

9. समिति ने कई बैठकें कीं। इन बैठकों का संचालन प्राधिकरण द्वारा किया गया। व्यापक विचार-विमर्श के बाद, समिति ने प्राधिकरण को अंतःसंयोजन विनियमन 2017 की अनुसूची III में शामिल करने के लिए "डिजिटल राइट मैनेजमेंट (डीआरएम) के लिए सिस्टम आवश्यकता" पर एक रिपोर्ट सौंपी। प्राधिकरण समिति द्वारा किए गए व्यापक कार्य के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है।

10. तदनुसार, अंतःसंयोजन विनियम 2017 दिनांक 3 मार्च, 2017 को संशोधित किया गया है।